थाना सैक्टर 14

जिला गुरुग्राम

<u>राज्य द्वारा</u>- विशाल S/o मिट्ठन निवासी गांव जलालपुरा थाना नकुड U.P हाल किरायेदार म0नं0 105 SEC-5 गुरुग्राम

<u>बनाम</u>- सुजीत गौर S/O दुर्ग विजय R/O BAGAHIDAD MUBARAKPUR AZAMGARH UP

मुकदमा नम्बर 269 दिनाँक 23.06.2019 U/S 279,337,427 IPC थाना सैक्टर 14

<u>दरखास्त बराये रिमाँड जुडिशियल 14 दिन</u>

श्रीमान जी,

हालात मुकदमा इस प्रकार से है कि दिनांक 22-6-19 को थाना मे बजरिया फोन सूचना प्राप्त हुई कि विशाल S/o मिट्ठन निवासी म0नं0 105 SEC-5 गुरुग्राम RSA मे मजरुब होकर इलाज के लिए दाखिल सिविल अस्पताल सै-10 मे है कार्यवाही के लिए I/O भेजे इस सूचना पर पर मन HC मय सि0 रणवीर 3609 के बराये कार्यवाही GH सिविल हस्पताल सै-10 गुरुग्राम पहूंच कर मजरुब विशाल का रुक्का डॉक्टरी व MLC NO 120/AC/CH SEC-10 GGM DT 22-6-19 प्राप्त करके एख लिखित दरखास्त बराये राय डॉ साहब को पेश कि जो डॉ साहब ने मजरुब को FIT FOR STATEMENT तहरीर किया जो मजरुब विसाल ने मन HC को एक लिखित दरखास्त पेश कि जिसका मजबुन जैल है "सेवा मे, श्रीमान एस एच ओ साहब थाना SEC-14 गुरुग्राम श्रीमान जी, निवेदन है कि मै विशाल S/o मिट्ठन निवासी गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर थाना नकुड U.P हाल किरायेदार म0नं0 105 SEC-5 गुरुग्राम का रहने वाला हुं और स्वीगी कंपनी सै-14 मे काम करता हुँ। आज मै अपनी ड्युटी खत्म करके अपनी मोटरसाईकिल up11br7333 को लेकर अपने घर जा रहा था समय करीब 3 बजे जैसे ही मै कटारिया चौक पहूंचा ही था कि एक गाडी सैक्टर 18 कि तरफ से बडी तेज रफ्तार से आई उसका चालक ने गाडी को बडी ही गफलत व लापरवाही से गाडी को चलाते हुए व मेरी मोटरसाईकिल मे सीधी टक्कर मार दी जिससे मै सडक पर बाईक सहित गिर गया जो मुझे टक्कर लगने से काफी चोटे आई मै व मेरी मोटरसाईकिल मे काफी नुकसान हो गया और पूरी टूट गई वहां पर काफी भीड इकठ्ठा हुई और मैने गाडी का नंबर देखा तो उसका नंबर HR 55Y1072 था जो चालक भीड का फायदा उठाकर मौके से भाग गया जो मैने अपने भाई को फोन करके बुलाया मेरे भाई धर्मेंद्र ने मुझे ईलाज के लिए CIVIL सरकारी होस्पिटल मे भर्ती कराया अब मैने आपको शिकायत दे दी है। गाडी चालक नाम पता ना मालूम के

खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।8954712654 VISHAL KUMAR DT 22-6-19" जिस पर उपरोक्त मुकदमा उक्त धाराधीन दर्ज रजि0 किया जाकर मुकदमा हजा की तफतीश HC मुकेश द्वारा अमल मे लाई गई। दौराने तफतीश नक्शा मौका नजरी तैयार किया गया। ब्यानात ग्वाहान लिखे गये। आरोपी सुजीत गौर S/O दुर्ग विजय R/O BAGAHIDAD MUBARAKPUR AZAMGARH UP उपरोक्त के खिलाफ सबुत काबिले गिरफ्तारी सफा मिशल पर गुजरने पर दिनाँक 20.07.2019 को हस्ब जाबता गिरफ्तार किया गया।मुकदमा हजा मे ऐक्सीडेन्ट करने वाली गाडी नं HR55Y1072 वा कागजात RC, INSURANCE, FITNESS, PERMIT, DL को कब्जा पुलिस मे लेकर मैकेनिक मुलाहजा कराया गया वा दाखिल माल खाना थाना कराया गया। आरोपी आज़ पेश अदालत है माननीय अदालत से अर्ज है कि आरोपी सुज़ीत गौर उपरोक्त का रिमाडँ जुडिशियल उपरोक्त को 14 दिन मन्जुर फरमाकर बंद जिला जेल भोंडसी भेजने के सादर आदेश फरमाये जाये।